संoसंo–04 / HFA–13 / 2016

|| पीत पत्र के बदले में ||

टीम लीडर,
PMC, DAY-NULM,
इंदिरा भवन, पटना।

सबके लिए आवास (शहरी) योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए मुद्रण हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत लिफलेट के प्रारूप पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। सुलभ संदर्भ हेतु जिसकी प्रति आपको अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है साथ ही अनुरोध है कि योजना के CLSS घटक के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रारूप भी उपलब्ध कराया जाय।

UOI 344 21.9.17

अनु0:–यथोक्त।

18/9/17

उप निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

सबके लिए आवास योजना (शहरी)

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 'प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास योजना' (शहरी) संचालित की जा रही है। जिसके अंतर्गत शहर में निवास करने वाले वैसे लोग जिनका अपना पक्का घर ना हो, गृह निर्माण के लिए ब्याज अनुदान का लाभ उठा सकते हैं।

इस योजना का महत्वपूर्ण घटक **ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी (CLSS)** है। इसकी अवधि 2015–22 तक निर्धारित है इसके अंतर्गत 20 साल के लिए आवास निर्माण एवं विस्तार हेतु सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इसके लिए लाभार्थी परिवारों को 4 तरह के आय वर्ग में बांटा गया है।

- **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)** :– वैसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 0–03 लाख रू0 हो, वे तीन लाख तक की राशि पर 6.5 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए ब्याज सब्सिडी की अधिकतम राशि 1,10,093 रू0 होगी। गृह निर्माण के लिए अधिकतम कारपेट क्षेत्र 30 वर्ग मीटर निर्धारित की गई है।
- **निम्न आय वर्ग (LIG)** :– वैसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3,00,001 लाख रू0 से 06 लाख तक हो, वे छः लाख तक की राशि पर 6.5 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए ब्याज सब्सिडी की अधिकतम राशि 2,20,187 रू0 होगी तथा गृह निर्माण के लिए अधिकतम कारपेट क्षेत्र 60 वर्ग मीटर निर्धारित की गई है।
- **वर्ष 2017 के लिए** 12 लाख रू0 तक के वार्षिक आय वाले को **मध्यम आय वर्ग (MIG-I)** में रखा गया है जो 09 लाख रू0 तक की राशि पर 4 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए ब्याज सब्सिडी की अधिकतम राशि 2,35,068 रू0 होगी तथा अधिकतम कारपेट क्षेत्र 90 वर्ग मीटर निर्धारित की गई है।
- **मध्यम आय वर्ग (MIG-II)** की श्रेणी में 18 लाख रू0 तक की वार्षिक आय वाले परिवार को रखा गया है जो अधिकतम 12 लाख रू0 तक की राशि पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए ब्याज सब्सिडी की अधिकतम राशि 2,30,156 रू0 होगी। गृह निर्माण के लिए कारपेट क्षेत्र 110 वर्ग मीटर निर्धारित की गई है। यह स्कीम भी वर्ष 2017 तक के लिए ही है।

  इस योजना के अधीन प्राप्त होने वाला सब्सिडी सीधे आवेदक के ऋण खाते में आ जाता है जिससे उनका ब्याज दर काफी कम हो जाता है।

योजना की शर्तें :–

- लाभार्थी के पास उनके नाम से भारत में किसी भी भाग में पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- आवास निर्माण के लिए जिस जमीन पर गृह ऋण लिया जा रहा हो उसका स्वामित्व उस व्यक्ति के नाम से होना चाहिए।
- नया फ्लैट खरीदते समय भी इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री शामिल होंगे।
- अविवाहित व्यस्क व्यक्ति जिसकी नियमित आय हो वह भी लाभार्थी हो सकता है बशर्ते वह अन्य शर्तें पूरा करता हो।
- विवाहित जोड़े के मामले में या तो पति/पत्नी अथवा संयुक्त स्वामित्व में दोनों एक साथ आवास के लिए पात्र होंगे बशर्ते की स्कीम के तहत परिवार की आय पात्रता के अंतर्गत आती हो।

आवेदन कहाँ करें :–

- लाभुक अपना ऋण–आवेदन संबंधित नगर निकाय के माध्यम से अथवा सीधे बैंक अथवा हाउसिंग फिनान्स कम्पनी को आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन के लिए फार्म संबंधित बैंक अथवा हाउसिंग फिनान्स कम्पनी से प्राप्त की जा सकती है।
- बैंको अथवा हाउसिंग फिनान्स कम्पनियों के द्वारा गृह ऋण स्वीकृति के लिए सामान्य प्रक्रिया एवं शर्त के अनुरूप ही इस योजना में भी गृह ऋण की स्वीकृति दी जाएगी।

किसी भी तरह की असुविधा अथवा विशेष जानकारी के लिए संबंधित नगर निकाय से संपर्क किया जा सकता है।